रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2014/भाद्र 12, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 90]
No. 113]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2014/BHADRA 12, 1936	[N.C.T.D. No. 90]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग
(विकास आयुक्त का कार्यालय)
अधिसूचना
दिल्ली, 3 सितम्बर, 2014

सं.फा.12(357)/ए.एच.डी./2014/3020.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना संख्या **का.आ.** 1279 के साथ पठित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए संस्थापना एवं समितियाँ विनियमन) नियमावली, 2001 के नियम 3 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तथा दिनांक 10 जून, 1999 की अधिसूचना सं. डी.एस.पी.सी.ए/919–941 एवं दिल्ली पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति के वर्तमान बोर्ड के विस्तार संबंधी दिनांक 16 जून, 2003 के अनुवर्ती आदेश के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करने के लिए पशु क्रूरता निवारण प्रबंधन समिति का सहर्ष गठन करते हैं। नवगठित प्रबंधन समिति निम्नानुसार होगी, अर्थात्:–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विवरण
1	विकास आयुक्त	सभापति
2	श्री सुभाष सचदेवा, विधायक, मोती नगर	सदस्य
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, विधायक, आर.के.पुरम	सदस्य
4	श्रीमती अंबिका शुक्ला, 154, जोर बाग, नई दिल्ली	सदस्य खण्ड (i) के अधीन
5	श्रीमती गीता शेषमणि, फेंडिस्कोज सेक्टर 271 और, 273 डिफेन्स कालोनी फ्लाई ओवर मार्केट, जंगपुरा साइड, नई दिल्ली–24	सदस्य खण्ड (i) के अधीन
6	खण्ड (ii) के अधीन दिल्ली पशु क्रूरता निवारण सोसायटी के सदस्यों की महासभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्य	सदस्य
7		सदस्य
8	एस.डी.एम. सिविल लाइन्स	पदेन सदस्य
9	मुख्य वन्य जीव संरक्षक, दिल्ली	पदेन सदस्य
10	आयुक्त, दिल्ली पुलिस/प्रतिनिधि	सदस्य
11	निदेशक, पशुपालन, दिल्ली	पदेन सदस्य सचिव

प्रबंधन समिति के पास संपति के हस्तांतरण तथा पदो के सृजन/कार्मिक की नियुक्ति के अतिरिक्त सभी शक्तियां होंगी। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पी. के. पाण्डा, विशेष विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2014

No. F. 12(357)/AHD/2014/3020.—In pursuance of powers conferred by sub-rule (2) of rule 3 of the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification NO. S.O. 1279, dated the 1st April, 1967 and in supersession of Notification No. DSPCA/919-941, dated 10th June, 1999 and subsequent order dated 16th June, 2003 regarding extension of present Delhi Society for Prevention of Cruelty to Animals Board, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the Managing Committee of the Delhi Society for Prevention of Cruelty to Animals, to look after the day to day work of the Delhi Society for Prevention of Cruelty to Animals consisting of the following members, namely:—

Sl. No.	Name of officer	Particulars
1.	Development Commissioner	Chairperson
2.	Sh. Subhash Sachdeva (MLA, Moti Nagar)	Member
3.	Sh. Anil Kumar Sharma (MLA, R.K. Puram)	Member
4.	Ms. Ambika Shukla, 154, Jor Bagh, New Delhi	Member, under clause (i)
5.	Ms. Geeta Seshamani Frendicoes, Sector-271 & 273, Defence Colony, Fly Over Market, Jangpura side, New Delhi-24	Member, under clause (i)
6.	Two members to be elected by the general body of Members of the society under clause (ii)	Member
7.		Member
8.	SDM (Civil Lines)	Member (Ex-officio)
9.	Chief Wildlife Warden, Delhi	Member (Ex-officio)
10.	Commissioner, Delhi police/Representative	Member
11.	Director (Animal Husbandry), Delhi	Member Secy. (Ex-officio)

The Management Committee will have all the powers except those of transfer of properties and creation of posts/engagement of personnel. The term of the Management Committee will be three years.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
P. K. PANDA, Special Development Commissioner

गृह (पुलिस–II) विभाग

(कार्यालय उपायुक्त पुलिस : यातायात : मुख्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2014

सं. फा. 20/4/2003/गृ.पु. II/7079.—क्योंकि आसफ अली रोड पर हमदर्द चौक से तुर्कमान गेट में यातायात के सुगम प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

और क्योंकि यातायात की सघनता की समस्या के कारण सड़क प्रयोगकताओं की सुविधा के लिए उपरोक्त मार्ग पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है ।

अतः मैं, आर. के. झा, उपायुक्त पुलिस यातायात, मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 की धारा 21 जिसके अंतर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आसफ अली रोड पर हमदर्द चौक से तुर्कमान गेट तक सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए अगले आदेश तक एक तरफा मार्ग की घोषणा करता हूँ ।